

कार्यालय, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रेषक, जोनल अधिकारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।	सेवा में,
संख्या	दिनांक

: विषय :

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा 15(A) के अन्तर्गत सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया भूखण्ड संख्या वाराणसी पर आप द्वारा व्यवसायिक/कार्यालय/ग्रुप हाउसिंग/अन्य भवन के निर्माण हेतु प्राधिकरण से परमिट संख्या..... दिनांक..... के माध्यम से मानचित्र स्वीकृत उपरान्त आप द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। अवगत कराना है कि इस भवन के उपयोग/अध्यासन से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा 15(A) के अन्तर्गत सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 5404 (एम0बी0)/2008 अमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक 20.04.2011 को भी पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आदेश पारित किये गये हैं। आप द्वारा अभी तक अपने भवन के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं किया गया है।

अतः पत्र इस आशय से कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा 15(A) के अन्तर्गत प्रपत्र पर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें, अन्यथा आपके भवन के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जिसमें भवन को सील किये जाने की कार्यवाही सम्मिलित है, सम्पादित करा दी जायेगी, साथ ही भवन के जल एवं विद्युत संयोजन के विच्छेदन हेतु सम्बन्धित विभाग को सूचित कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

जोनल अधिकारी,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।